मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय भोपाल

क्रमांक : एफ–9/तीन/2008/नियम/चार   भोपाल, दिनांक : 16/12/2011

प्रति,

आयुक्त,
कोष एवं लेखा,
पर्यावास भवन,
भोपाल ।

विषय :– परिभाषित अंशदायी पेंशन प्रणाली–कर्मचारी अंशदान एवं शासकीय अंशदान की कटौती तथा फण्ड मैनेजर को हस्तांतरण की प्रक्रिया का निर्धारण ।

संदर्भ :– वित्त विभाग का ज्ञाप क्र. एफ–9/तीन/2008/नियम/चार, दिनांक 01.10.2009.

––00––

उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से परिभाषित अंशदायी पेंशन प्रणाली की प्रक्रिया का निर्धारण किया गया था । राज्य वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को केन्द्रीयकृत किया गया है । अतः निर्देशित किया जाता है कि केन्द्रीयकृत प्रणाली अंतर्गत कोषालय द्वारा सेन्ट्रल रिकार्ड कीपिंग एजेन्सी (एन.एस.डी.एल.) को किये जा रहे अंशदान कटौत्रे का डाटा ट्रान्सफर को बंद कराया जाकर यह प्रक्रिया अब पेंशन संचालनालय द्वारा केन्द्रीयकृत रूप से की जाये।

2– वर्तमान प्रक्रिया के अंतर्गत संदर्भित पत्र की कंडिका (IV)(a) के द्वारा यह निर्देशित किया गया था कि कोषालय अधिकारी द्वारा वेतन देयक एवं शासकीय अंशदान से संबंधित देयक पारित करने के पश्चात् आगामी कार्य दिवस में डाटा एन.एस.डी.एल. के साईट पर अपलोड किया जावेगा । C-SFMS लागू हो जाने के फलस्वरूप वर्तमान में निर्धारित प्रक्रिया में संशोधित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशों की कंडिका (IV)(a) के तहत डाटा एन.एस.डी.एल. की साईट पर Upload करने की प्रक्रिया अब कोषालयों के स्थान पर संचालनालय पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा कार्यालय द्वारा संपादित की जायेगी । आदेश की शेष कंडिकायें यथावत रहेंगी ।

3– नवीन प्रक्रिया के संपादन हेतु आयुक्त, पेंशन द्वारा अपने स्तर से अधिकारी को नामांकित कर उत्तदायित्व सौंपा जायेगा ।

सचिव
मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग

......2.

Desktop/JDSir/PSDOLet

पृष्ठा.क्र. : एफ–9/तीन/2003/नियम/चार भोपाल, दिनांक : 16/11/2011

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा, म0प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
2. समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ ।
3. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ ।
4. समस्त कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग